

डोर-टू-डोर पटना के सभी घरों की दीवारों पर क्यूआर कोड हार्ड टैग लगेगा, कचरा उठते ही बज उठेगा घर का मोबाइल

अब सर्दी, खांसी व बुखार की दवा खरीदने वालों का तैयार हो रहा है डेटा, हर रोज दवा दुकानदार ड्रग विभाग को देंगे डेटा

बिहार के 27 जिलों में 20 अप्रैल के बाद मिल सकती है राहत, यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं

पटना में 19 दिनों के बाद फिर से मिला कोरोना मरीज, एम्स में इलाज के लिए भर्ती

WINNER GROUP OF COMPANIES
WINNER CREDIT CO-OPERATIVE SOCIETY LIMITED
 (Regd. No. MCOB/02/2010)
 कृषि कर्मावर, भावा-सुरास-दवा-सिस्टर्स एवं नानादा प्रसाद
 1 Winner Credit 2 Winner Pharma 3 Winner Retail 4 Winner Digital Media 5 Winner Insurance
 6 Winner Health & Personal Care 7 Winner Micro Finance 8 Winner Film Director 9 Winner Video Shooting 10 Winner Online Banking
 REGD. OFFICE: WINNER HOUSE, C-24, SECTOR-12 NOIDA-201301 U.P.
 Contact No. +91 811059530, E-mail: info@winnergroup.org, Website: www.winnergroup.org

NEWS TODAY Update
 www.newstodayupdate.in

युवराज न्यूज टुडे
 RNI:- BIHHIN05409
 राष्ट्रीय हिन्दी पक्षिक
 आपकी आवाज़

रजि० कार्यालय :
 अष्टाना निवास,
 मठिया जिरात,
 मोतिहारी-845401
 समाचार एवं विज्ञापन
 के लिए संपर्क करें-
 9471005272

email: newstodaymth@gmail.com

website : newstodayupdate.in

वर्ष : 06 अंक : 08 तिथि : 16 अप्रैल 2020 (मूल अंक) मूल्य : नि:शुल्क प्रधान संपादक : डा. राजेश अस्थाना - 9471005272, 8210595830

न्यूज टुडे लॉक डाऊन स्पेशल अंक

पटना में 19 दिनों के बाद फिर से मिला कोरोना मरीज, एम्स में इलाज के लिए भर्ती



डा. राजेश अस्थाना,



पटना में 19 दिनों के बाद फिर से कोरोना मरीज मिला है। सुल्तानगंज के मेवासव लेन निवासी 60 वर्षीय वृद्ध की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वह नालंदा निवासी पीड़ित के ससुर हैं। युवक के साले की भी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, लेकिन चिकित्सकों के सैपल में एरर बताने पर गुंवार को दोबारा नमूना लेकर उसकी जांच कराई जाएगी।

राज्य सरकार ने कोरोना पर जीत हासिल करने के लिए इस महामारी की चपेट में आए इलाकों में डोर टू डोर स्कैनिंग का काम बुधवार से शुरू कर दिया। पहले चरण में राज्य के चार कोरोना प्रभावित जिले सिवान, बेगूसराय, नवादा और नालंदा में स्कैनिंग आरंभ की है। दूसरे चरण में शेष 7 जिलों में यह काम होगा। स्वास्थ्य विभाग ने अभियान की महत्ता को देखते हुए पारामेडिकल स्टाफ, नगर पालिका और पुलिस की टीम गठित कर दी है। दो चरण के अभियान में करीब चार लाख से अधिक घर स्कैन होने हैं इस कारण काम में कुल 27 सौ लोगों को टीम बनाकर लगाया गया है।

कोरोना मरीजों की पहचान के लिए शुरू किए गए इस अभियान के तहत पारामेडिकल स्टाफ, नगर पालिका और पुलिस की टीम हर घर जाएगी। घर के मुखिया को एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जा रहा है। इसमें परिवार के मुखिया को लिखित जानकारी देनी है कि उनके घर में कितने सदस्य हैं। कोई सदस्य पिछले एक महीने में विदेश से या कहीं अन्य जगह से तो नहीं आया है। घर के किसी सदस्य को सर्दी, खांसी, बुखार या सांस लेने में समस्या तो नहीं। परिवार के सदस्यों की आयु कितनी है। गांव, मोहल्ला, थाना जैसी जानकारी भी शामिल की गई है।

फूलवारीशरीफ में 768 घरों को किया गया सैनिटाइज

मेडिकल टीम द्वारा जांच के बाद होम आइसोलेशन में रह रहे 68 लोगों के स्वास्थ्य की जांच बुधवार को की गई। किसी में कोरोना वायरस के संक्रमण के लक्षण नहीं मिले। इस बाकत पीएचसी प्रमारी डॉ. रामानुजम ने बताया कि सभी लोगों को स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र देकर होम आइसोलेशन से मुक्त किया गया। साथ ही उन्हें भीड़भाड़ से बचने की सलाह दी गई। उन्होंने बताया कि बीते तीन दिनों में कुल 157 लोगों को होम आइसोलेशन से मुक्त किया जा चुका है। अभी 360 लोग ही होम आइसोलेशन में रह रहे हैं।

एम्स में आठ संदिग्ध किए गए भर्ती

एम्स पटना में बुधवार को 38 लोगों के स्वास्थ्य की जांच की गई, जिसमें आठ आशंकाओं को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया। वहीं निगेटिव आए एक आशंका को अस्पताल से छुटी दे दी गई।

एम्स पटना ने वीडियो जारी कर किया जागरूक

कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए एम्स पटना ने जागरूकता वीडियो जारी किया। जिसमें एम्स ट्रामा व इमरजेंसी के विभागाध्यक्ष ने कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकने के घर से नहीं निकलने की अपील की। बाहर निकलते समय मुंह और नाक को कपड़ा से ढंके। मोहल्ले में आने वाले विदेश व दूसरे राज्य आने वाले लोगों की सूचना दें।

क्वार्टाइन सेंटर में रह रहे 23 लोगों को भेजा गया घर

खुसरपुर: दूसरे राज्य से आए लोगों को 14 दिनों बाद क्वार्टाइन वार्ड से घर भेजा गया। सभी लोगों की स्वास्थ्य जांच बुधवार को मेडिकल टीम के द्वारा अलावलपुर पंचायत के एरई बेनीपुर एवं इरमाइलपुर में होम क्वार्टाइन में रह रहे 23 लोगों की जांच की गई। इससे पूर्व बैकवपुर के छह लोगों की भी जांच की गई।

प्रमारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. प्रमा कुमारी ने बताया कि टीम में डॉ. अरविंद कुमार सिन्हा, डॉ. अमरेश कुमार के द्वारा लगातार जांच की जा रही है। क्वार्टाइन में रह रहे किसी व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण अभी तक नहीं पाया गया है।

रात आठ से बारह बजे खुलेगा मारुफगंज किराना व खाद्य तेल मंडी

लॉकडाउन के कारण 22 दिन से बंद पड़ी मारुफगंज किराना व खाद्य तेल मंडी अब रात आठ से 12 बजे तक खुली रहेगी। यह निर्णय मंडी के व्यवसायियों के साथ मंगलवार की रात हुई बैठक के बाद एसडीओ राजेश रोशन ने लिया। हालांकि मंडी खोलने के दौरान सुरक्षा को लेकर कारोबारी दो गुट में बंट गए हैं।

NEWS TODAY Update
युवराज न्यूज टुडे
 आपकी आवाज़
 www.newstodayupdate.in
News Today - सदैव सत्य के साथ

अब सर्दी, खांसी व बुखार की दवा खरीदने वालों का तैयार हो रहा है डेटा, हर रोज दवा दुकानदार ड्रग विभाग को देंगे डेटा



आशीष राज,
 स्थानीय संपादक,
 न्यूज टुडे



www.newstodayupdate.in

अब सर्दी, खांसी व बुखार की दवा खरीदने वालों का तैयार हो रहा है डेटा। दवा दुकानदार इन दवाओं की खरीद करने वालों का नाम, पता से लेकर मोबाइल नंबर नम्बर रजिस्टर पर हर रोज अंकित करना होगा। इसकी सूचना हर रोज दवा दुकानदार ड्रग विभाग को देंगे। नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई भी हो सकती है। इस आशय का निर्देश ड्रग विभाग के द्वारा दवा के दुकानदारों को भेज दिया गया है।

विभागीय सूत्रों के अनुसार कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिये लगातार सरकार कई पहल कर रही है। इसी कड़ी में यह फैसला लिया गया है। ताकि पता चल सके कि जिला में कितने लोग सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित हैं। ताकि उन सबों पर नजर रखी जा सके और उनका इलाज मेडिकल टीम के द्वारा कराया जा सके।

जानकर बताते हैं कि सर्दी, खांसी व बुखार से ग्रसित मरीज की खोज के लिये पहले से आशा कार्यकर्ता व आंगनवाड़ी सेविकाओं को लगाया गया है। मगर दवा दुकानदारों के द्वारा दी गयी रिपोर्ट से इन सबों पर निगरानी में सुविधा के लिये सरकार ने यह निर्देश जारी किया है जो आज से लागू कर दिया गया है।

ज्ञात हो कि जब से कोरोना वायरस का लक्षण सर्दी, खांसी व बुखार की जानकारी लोगों को हुई है तब से जिला में इन दवाओं की विक्री काफी बढ़ गयी है।

देश में अब तक कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या 12,380 के पार
 भारत में अब तक कोरोना वायरस (ब्लटप-19) के 12,380 मामले सामने आ गए हैं। इनमें से 1489 लोग ठीक हो गए हैं और 414 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 10,477 मरीजों का इलाज चल रहा है।

डोर-टू-डोर पटना के सभी घरों की दीवारों पर क्यूआर कोड हार्ड टैग लगेगा, कचरा उठते ही बज उठेगा घर का मोबाइल



सम्राट, संवाददाता,
 न्यूज टुडे : मोतिहारी, बिहार

पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड डोर-टू-डोर कूड़ा उठाव सेवा को मजबूत बनाने के लिए पटना के सभी घरों की दीवारों पर क्यूआर कोड हार्ड टैग लगाएगा। वार्ड के सफाई निरीक्षक प्रतिदिन कचरा उठाने पर टैग को स्कैन करेंगे। उसके बाद नगर निगम के नियंत्रण कक्ष और मॉनीटरिंग स्टेशन के साथ घर के मालिक के निर्बंधित मोबाइल नंबर पर कचरा उठा लिए जाने का एसएमएस जाएगा। एक लिंक भी इसमें रहेगा। अगर बिना कचरा उठाए सफाई निरीक्षक कोड को स्कैन करेगा तो उपभोक्ता दिए गए लिंक पर फीडबैक या शिकायत भेज देगा। सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई होगी।

पटना में करीब साढ़े तीन लाख घरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लोग मोबाइल से कचरा गाड़ी की लोकेशन भी जान पाएंगे। योजना को धरातल पर लाने के लिए पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड इंटरनेट सॉल्यूटिंस वेस्ट मैनेज, मेट प्रोजेक्ट लांच करने जा रहा है। इसमें 13-14 करोड़ रुपये खर्च आएगा। अप्रैल माह के अंत तक निविदा निकलेगी। पटना नगर निगम की सभी गाड़ियों जैसे- हाइवा, स्वीपिंग मशीन, डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली गाड़ियों में जीपीएस लगेगा। कर्मियों की बायोमीट्रिक हाजिरी होगी।

पटना नगर निगम के सभी अंचलों में एक-एक मॉनीटरिंग स्टेशन एवं नगर निगम मुख्यालय में कंट्रोल रूम रहेगा। हेलप नंबर, सोशल मीडिया पर भी शिकायत दर्ज करने की व्यवस्था रहेगी। उसके बाद सफाई निरीक्षक पर कार्रवाई होगी। परियोजना के तहत एप भी जारी होगा। कचरा गाड़ियों की लोकेशन, कचरा शुल्क भुगतान, वार्ड के सफाई निरीक्षक और चालकों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। एप के माध्यम से शिकायत भी दर्ज की जा सकेगी।

बिहार के 27 जिलों में 20 अप्रैल के बाद मिल सकती है राहत, यहां एक भी कोरोना पॉजिटिव नहीं



ई. युवराज,
 मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
 न्यूज टुडे मीडिया समूह :



www.newstodayupdate.in

देशभर में 21 दिन से जारी लॉकडाउन 19 दिन और बढ़ा दिया गया है। यानी 3 मई तक। 20 अप्रैल से कुछ जरूरी चीजों में थोड़ी छूट दी जाएगी। ये छूट वहां मिलेगी, जहां कोरोना नहीं फैलेगा। बिहार के 27 जिले ऐसे हैं जहां मंगलवार तक कोरोना का कोई संक्रमित नहीं मिला है। ऐसा ही रहा तो इन जिलों में 20 अप्रैल के बाद राहत मिल सकती है।

बिहार के 27 जिले ग्रीन जोन में हैं। पंचपरण, पंचपरण, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार, बांका, जमुई, शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, बक्सर और आरा जिले में कोरोना को कोई रोगी नहीं मिला है। 20 अप्रैल तक अगर इन जिलों में कोरोना का मरीज नहीं मिलता है तो राहत मिल सकती है।

राज्य के आठ जिले ऑरेंज जोन में हैं। गोपालगंज, सारण, पटना, नालंदा, गया, लखीसराय, मुंगेर और भागलपुर में कोरोना के मरीज मिले हैं। वहीं, सीवान, बेगूसराय और नवादा जिले को रेड जोन में रखा गया है।

ब्रावो फार्मा को मिला भारत सरकार से कोविड-19 किट के लिए लाइसेंस, भारत में 7 से 10 दिनों में उपलब्ध होगा किट



रिंकू गिरी,
 स्थानीय संवाददाता, न्यूज टुडे

भारत सरकार के सेन्ट्रल लाइसेंसिंग विभाग सीडीएससीओ ने कोविड-19 किट के लिए ब्रावो फार्मा को सोमवार को लाइसेंस निगट कर दिया है।



www.newstodayupdate.in

उक्त जानकारी देते हुए ब्रावो फार्मा के चेयरमैन राकेश पांडेय ने न्यूज टुडे को बताया कि यह किट ब्रावो फार्मा की पार्टनर कंपनी ने यूरोप के स्विट्जरलैंड में तैयार किया है एवम ज्ञात हो कि स्विट्जरलैंड अपनी गुणवत्ता के लिए पूरी दुनिया में एक अलग स्थान रखता है।

श्री पांडेय ने आगे बताया कि इस किट से कोरोना संक्रमण का पता मात्र 5 से 7 मिनट में लगा लिया जाएगा जो इस वैश्विक महामारी को रोकने में काफी सहयोग करेगा।

श्री पांडेय बताया कि आईसीएमआर से फाइनल ट्रायल और औपचारिक रिपोर्ट के बाद इसे भारत में 7 से 10 दिनों में उपलब्ध करा दिया जाएगा।

ज्ञात हो कि इस किट को भारत में उपलब्ध कराने के लिए ब्रावो फार्मा ने सरकार को एक आवेदन पिछले हफ्ते दिया था जिसे बिना बिलंब के सरकार के सेंट्रल लाइसेंसिंग विभाग ने ब्रावो फार्मा को लाइसेंस जारी कर दिया।

CSC ID: 117745760015
CSC
 E-GOVERNANCE SERVICES INDIA LIMITED
 भारत सरकार
डिजिटल सेवा
 कॉमन सर्विस सेन्टर
 अष्टाना-निवास, मठिया जिरात, मोतिहारी-845401.
 मो: 9471005272 / 8210595830
बस एक क्लिक कीजिए
देश दुनिया की खबर के साथ अपनी खबर भी देखिए
www.newstodayupdate.in
A Fast Growing Web News Portal
A unit of Yuvraj Media Entertainment
 Contact for News & Advt.: 9471005272, 8210595830

Yuvraj Media & Entertainment
 बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार के लिए संपर्क करें:
 Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर देश भर में यात्री ट्रेनों और हवाई सेवाओं के रद्द होने के साथ ही अब मेट्रो सेवाएं भी 3 मई तक बंद, यात्रियों के पूरे पैसे होंगे रिफंड



डा. राजेश अस्थाना,

एडिटर इन चीफ, न्यूज टुडे मीडिया समूह :

पीएम नरेंद्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के फैसले पर रेलवे की घोषणा के बाद देश भर में यात्री ट्रेनों और हवाई सेवाओं के रद्द होने के साथ ही अब मेट्रो सेवाओं को भी 3 मई तक बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही देश में हवाई सेवाएं भी 3 मई तक रद्द कर दी गई हैं। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव डीएस मिश्रा के अनुसार, 3 मई तक लॉकडाउन को बढ़ाए जाने की घोषणा के साथ ही मेट्रो रेल की सेवाओं को भी तब तक के लिए निलंबित कर दिया गया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 3 मई रात 11 बजकर 59 मिनट तक रद्द कर दी गई हैं।

सभी यात्री ट्रेनों 3 मई तक रद्द

रेलवे अधिकारियों की ओर से जानकारी देते हुए बताया गया कि हमने 3 मई तक अपनी यात्री

यात्रियों के पूरे पैसे होंगे रिफंड

रेल मंत्रालय की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि लोगों की पहले से बुक टिकटों के पूरे पैसे उन्हें वापस किए जाएंगे। इसके साथ कहा गया है कि अब कोई भी टिकट बुकिंग नहीं होगी रेलवे ने बताया कि 3 मई तक रद्द की गई ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फुल रिफंड किया जाएगा, जबकि जिन लोगों ने काउंटर पर बुकिंग की है वे 31 जुलाई तक रिफंड ले सकते हैं।

रहेगी। पहले की तरह मालगाड़ियां आगे भी चलती रहेंगी।

यात्रियों के पूरे पैसे होंगे रिफंड

रेल मंत्रालय की ओर से आधिकारिक जानकारी में बताया गया है कि लोगों की पहले से बुक टिकटों के पूरे पैसे उन्हें वापस किए जाएंगे। इसके साथ कहा गया है कि अब कोई भी टिकट बुकिंग नहीं होगी रेलवे ने बताया कि 3 मई तक रद्द की गई ट्रेनों के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग में फुल रिफंड किया जाएगा, जबकि जिन लोगों ने काउंटर पर बुकिंग की है वे 31 जुलाई तक रिफंड ले सकते हैं।

इससे पहले आज देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन को बढ़ाते हुए 3 मई तक इसे जारी रखने का फैसला किया। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोरोना वायरस महामारी के प्रसार को रोकने के लिए यह बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती से आगे बढ़ रही है और

रामगढ़वा प्रखंड के नरीरगिर आदापुर पथ पर ग्रामीणों ने लोगो की आवाजाही किया बन्द, बैरियर लगाकर लॉक डाउन पालन करने की अपील



अफजल आलम

न्यूज टुडे, रामगढ़वा- पू.व. :

रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पंचायत के ग्रामीणों ने रामगढ़वा प्रखंड कार्यालय से आदापुर प्रखंड कार्यालय को जोड़ने वाली आदापुर नरीरगिर पथ को चंपापुर नहर के समीप सोमवार को बैरियर लगा कर आवागमन बन्द कर दिया है।

ग्रामीणों जियाउल हक, मोसैयब अंसारी, मोहम्मद सैफुल्लाह आदि ने बताया कि कोरोना वायरस जैसी भयानक बीमारी को देखते हुए हर चौक पर बैरियर लगा कर रखा है। ग्रामीणों के द्वारा क्षेत्र में कोरोना वायरस जैसी महामारी से निपटने के लिए चौराहा पर बैरियर लगाया गया है ताकि बाहर से आए हुए दो चक्का से चार चक्का को इस पार से उस पार नहीं जा सके ऐसे में बैरियर की व्यवस्था की गई।

वहीं ग्रामीणों ने आवागमन करने वाले लोगों से अपील किया है लॉक डाउन प्रति पालन कर सकें ऐसी स्थिति में चंपापुर नहर चौक, मुशहरी पुल चौक समीप ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से निर्णय कर बैरियर लगा दिया। वहीं इस महामारी से बचने के लिए अपना निर्णय लेकर इस कड़ी धूप में घर से नहीं निकलने की अपील किया और आने जाने वाले राहगीरों को रोकने के प्रयास कर रहे हैं। वहीं चंपापुर पंचायत की मुखिया जायदा खातुन के प्रति शमशुल जोहा अंसारी ने बताया कि सरकार ने हम सभी जनता को लॉक डाउन के तहत अपने अपने घरों में रहने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना संक्रमण से निजात मिल सके।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के नये दिशा-निर्देश में सबसे बड़ी राहत नॉनवेज खानेवालों को मिली, अब खुलेगी मीट, मछली और चिकन की दुकानें, थूकने वालों पर होगा जुर्माना



ई. युवराज,

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज टुडे मीडिया समूह :

कोरोना वायरस के खिलाफ जंग भारत में जारी है। सभी राज्य सरकारों के सुझावों को मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में तीन मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया, जिसके बाद बुधवार को यानी आज केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नये दिशा-निर्देश जारी किये हैं। जारी दिशा-निर्देश के अनुसार सभी तरह की परिवहन सेवाओं पर फिलहाल रोक जारी रहेगी। साथ ही राज्यों की सीमाएं पहले की तरह सील ही रहेंगी। हालांकि आवश्यक सेवाओं में यह दिशा-निर्देश लागू नहीं होगा। आज सबसे बड़ी राहत नॉनवेज खानेवालों को मिली है। दिशा-निर्देश के अनुसार मीट, मछली और चिकन की दुकानें अब खुलेगीं। यानी अब लोग नॉनवेज का आनंद बिना रोक-टोक के ले सकेंगे।

इससे पहले नॉनवेज खाने वालों को राहत नहीं दी गयी थी और इन दुकानों को भी बंद रखने का निर्देश था। हालांकि जब अब ये दुकानें खुलेगीं तो लोगों को कुछ नियम का पालन करना होगा। जैसे यदि आप दुकान में मीट, मछली या फिर चिकन खरीदने जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यानी दूसरे लोगों से एक मीटर की दूरी बनाएं रखें। साथ ही जब आप घर से बाहर निकलें तो चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं। यदि आपके पास मास्क नहीं है तो आप किसी भी कपड़े से अपने मुंह को ढककर ही घर से बाहर निकलें।

सरकार के द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुसार मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है।

थूकने वालों पर होगा जुर्माना

सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश में बताया गया है कि शादी ब्याह के समारोह सहित जिम, और धार्मिक स्थान बंद रखने के निर्देश दिये गये हैं। राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक जारी है। इसके अलावा मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। घर में बना मास्क, दुपट्टा या गमछा भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इसके अलावा थूकने वालों पर भी जुर्माना लगाया गया है।

बिहार में परिवहन विभाग द्वारा कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जरूरी सेवाएं 'पास' मुक्त, अब कार्यालय के ID Card पर आने-जाने की होगी अनुमति



रिंकू गिरी,

स्थानीय संवाददाता, न्यूज टुडे

परिवहन विभाग ने कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर यात्री वाहनों के परिचालन के संबंध में सूबे के सभी जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक-पुलिस अधीक्षक को पत्र जारी कर निर्देश दिया है। परिवहन सचिव ने पत्र में कहा है कि लॉकडाउन में पैसेंजर वाहनों का परिचालन पूर्णतः बंद रहेगा। लॉकडाउन एवं सोशल डिस्टेंसिंग को सख्ती से लागू करने के लिए निजी वाहनों के मूवमेंट को नियंत्रित करने का निर्देश दिया गया है।

परिवहन विभाग के सचिव ने कहा है कि सरकारी वाहनों और सरकारी कार्य के प्रयोग में लाये जानेवाले अन्य वाहनों के लिए सशर्त छूट दी है। अब इन लोगों को पास की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा है कि पटना हाईकोर्ट, जिला व्यवहार न्यायालय, केंद्र और राज्य सरकार के अनुमान्य कार्यालयों, केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों, बैंकों, राज्य के विभिन्न बोर्ड-निगम-सोसायटी-विभिन्न आयोग के पदाधिकारी और कर्मियों को कार्यालय आने-जाने के लिए निजी वाहन (दो पहिया- चार पहिया) का उपयोग करते हैं, तो उन वाहनों के लिए भी पास की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही शर्त है कि इन लोगों के पास कार्यालय का पहचान पत्र हो। ऐसे वाहनों को भी पहचान पत्र के आधार पर ही छूट मिलेगी।

इनके अलावा आवश्यक सेवाएं, जैसे- विद्युत आपूर्ति, टेलीकॉम, मोबाइल नेटवर्क, डेयरी उद्योग, बैंक एटीएम, नगर निकाय कर्मा, चिकित्सा सेवा, पेट्रोल पंप, एलपीजी वितरण, रेलवे, एयरपोर्ट, पोस्ट ऑफिस और अन्य आवश्यक सेवाओं के पदाधिकारियों और कर्मियों को भी कार्यालय के पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। साथ ही सरकारी एवं निजी अस्पताल, लैब, दवा दुकान के डॉक्टर एवं अन्य कर्मियों को भी पहचानपत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी।

मीडियाकर्मियों को भी उनके वैध पहचान पत्र के आधार पर आने-जाने की अनुमति होगी। इनके अलावा सभी मालवाहक वाहन, कृषि उत्पादों, पशु उत्पाद आदि की दुलाई में लगे मालवाहक वाहनों के लिए वाहन पास की जरूरत नहीं होगी। साथ ही पत्र में कहा गया है कि विभिन्न आवश्यक सेवाओं के लिए 14 अप्रैल, 2020 तक के लिए जारी किये गये पास को 20 अप्रैल, 2020 तक के लिए अवधि विस्तार का आदेश दिया गया है।

मालूम हो कि सरकारी वाहन एवं आपातकालीन सेवा में लगे वाहनों को छोड़ कर अन्य निजी वा. हनों को बिना किसी आपातकालीन कारण या पास के नहीं चलने का निर्देश सोमवार को दिया गया था, पहले कहा गया था कि अस्पताल, अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान एवं कार्यस्थल पर जाने के लिए सभी वाहनों के लिए पास निर्गत किये जायेंगे। पास में कहा-से-कहां तक जाना है, इसका स्पष्ट वर्णन भी करना था।

पटना जिले में पूर्व से निर्गत पास तीन मई तक विस्तारित

लॉकडाउन की अवधि में आवश्यक सेवाओं, जैसे- होम डिलीवरी, मेडिकल आदि कार्य से जुड़े ला. गों को 14 अप्रैल तक के लिए जिला प्रशासन द्वारा पास निर्गत किये गये थे, ताकि आवश्यक सेवाएं लॉकडाउन की अवधि में सुचारु रूप से संपादित हो और लोगों को दैनिक जरूरत की वस्तुएं सुगमता से उपलब्ध हो सकें। एक बार फिर आवश्यक सेवाओं को बहाल रखने तथा लोगों की दैनिक जरूरतों की पूर्ति को लेकर पटना के जिलाधिकारी ने पूर्व से निर्गत पास को तीन मई तक के लिए विस्तारित कर दिया है। इसके लिए पास के रिन्यूअल की भी आवश्यकता नहीं है।

गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी किया, 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर मिलेगी छूट



हल्पर को

कोरोनावायरस के खतरों के मद्देनजर 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चलने वाला 21 दिन का लॉकडाउन अब 3 मई तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को इसका ऐलान किया था। आज बुधवार को गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक, न तो धिमानें उड़ेंगी और न ही मेट्रो, ट्रेन या बस चलेंगे।

पहले से जिन्हें छूट मिली है, हालांकि, ट्रेनों से पार्सल जारी रहेगा। गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे गए गाइडलाइन में कहा गया है कि कृषि से जुड़े कार्यों की इजाजत दी गई है। औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। सभी तरह के परिवहन सेवाओं पर रोक रहेगी। स्कूल-कॉलेज भी बंद रहेंगे।

इन चीजों पर तीन मई तक पाबंदी

- बस, मेट्रो, हवाई और ट्रेन सफर नहीं किया जा सकेगा
- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर भी बंद ही रहेंगे
- शादी ब्याह के समारोह समेत जिम, मॉल, सिनेमा हॉल, थियेटर, बार, पार्क, पुल, और धार्मिक स्थान बंद रहेंगे
- सामाजिक, राजनीतिक और खेल आयोजन पर भी रोक रहेगी
- वाह संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं रहेगी।

इन कार्यों में रियायत

- जनता की तत्कालीन कम करने के लिए इस गाइडलाइन के मुताबिक 20 अप्रैल से कई गतिविधियों पर छूट मिलेगी। गृह मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, मनरेगा के सभी कार्यों को भी अनुमति, कृषि संबंधी सभी गतिविधियां, फिशरीज से जुड़ी बुनिदा गतिविधियां, पशुपालन से जुड़ी बुनिदा गतिविधियां, बैंकिंग गतिविधियां, सभी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रम, महिलाश्रम, विधवाश्रम आदि ऑनलाइन शिक्षण, जरूरी सामानों की आवाजाही, प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी तथा और इससे संबंधित सेवाएं, ई-कॉमर्स कंपनियों, कुरियर सर्विस, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस, होटल, लॉज आदि चीजों में छूट मिलेगी।

इमरजेंसी में वाहनों को शर्तों के साथ इजाजत

- इमरजेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा
- दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना
- कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी
- तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ी ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी
- गुड्स, कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट
- जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्रियों के ट्रांसपोर्टेशन को इजाजत रहेगी
- सभी ट्रकों और गुड्स,कैरियर वीइकल्स को



बस एक क्लिक कीजिए देश दुनिया की खबर के साथ अपनी खबर भी देखिए
www.newstodayupdate.in
 A Fast Growing Web News Portal
 Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830



Regd. No.: 20469, Western India Film Producers Association, Mumbai. Regd. Off.: Asthana Niwas, Mathiya Zirat, Motihari-845401, Bihar. Mumbai Off.: B-3-6, 2-4, Sumangal Apartment, Sector-3, Vashi, Navi Mumbai-400703. Delhi Off.: RZ/G 129B, Mahabir Enclave, Part 1, Old Som Bazar Behind Delhi Properties, Dhasrathpuri, New Delhi - 110045.

न्यूज़ टुडे एक्सक्लूसिव :

इस्लाम का प्रचार करनेवाले स्वयं हजरत मुहम्मद साहब का संदेश कैसे भूल गए कि ऐसी महामारी के समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तबलीगी जमात के रहन, मा, इंसान और इंसानियत के भी दुश्मन



डॉ. राजेश अरथाना, एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :



न्यूज़ टुडे टीम अपडेट

www.newstodayupdate.in

जब देश के नागरिक अपने घरों में रहकर ईश्वर से कोरोना वायरस से बचने के लिए प्रार्थना कर रहे थे, तभी देश की राजधानी नई दिल्ली से एक खबर सामने आई कि मार्च के शुरू में दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात में 13 मार्च को इंडोनेशिया, मलेशिया और अन्य देशों के नागरिकों के साथ 3,000 से अधिक लोगों का एक कार्यक्रम हुआ। देश भर से इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले कई लोगों में कोविड-19 के लक्षण पाए जा रहे हैं चाहे वे तमिलनाडु से हों या कश्मीर से। आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए लोगों में से लगभग 10 लोग कोविड-19 के कारण मर भी चुके हैं, जिनमें जमात के कश्मीर प्रमुख भी शामिल हैं। आलम ये हो गया है कि देश के कुल कोरोना वायरस संक्रमितों में एक चौथाई संख्या उन लोगों की है जिनका दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित तबलीगी मस्जिद से प्रत्यक्ष या परोक्ष नाता रहा है।

भारत में कोरोना महामारी से बचने के लिए सुरक्षात्मक उपाय पहली बार जनवरी में लागू किए गए थे जब सरकार ने चीन से आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग करने के लिए

जमात एक लंबे समय से मुसलमानों के भीतर इस्लाम का प्रचार करने और उन्हें धर्म के बुनियादी सिद्धांतों के बारे में बताते का काम करता आया है। लेकिन वे स्वयं हजरत मुहम्मद साहब का संदेश कैसे भूल गए जहां उन्होंने बताया था कि ऐसी महामारी के समय किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए? मैं यहां पैगंबर साहब के जीवन के दो उद्धरणों को पेश करना चाहता हूँ। जब उन्होंने एक बार अपने एक साथी से कहा था कि स्वस्थ के साथ बीमार को मत बैठाओ। यह इस्लाम के पैगंबर का एक स्पष्ट संदेश था ऐसे समय के लिए जब आपके बीच कोई ऐसा बीमार व्यक्ति हो जिसे संक्रामक बीमारी है।

अपने प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को निर्देश जारी किया था। इसके बाद ही सरकार ने विदेश से आने वाले सभी यात्रियों को इसके दायरे में रखकर समझदारी भरा कदम उठाया। 19 मार्च को अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने 22 मार्च की सुबह 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक सभी नागरिकों को 'जनात कर्फ्यू' (लोगों के कर्फ्यू) का पालन करने के लिए कहा। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री द्वारा यह घोषणा हुई कि 23 मार्च, 2020 की सुबह 6 बजे से दिल्ली को 31 मार्च तक बंद रखा जाएगा। 24 मार्च को प्रधानमंत्री ने 21 दिनों के लिए देशव्यापी बंद का आदेश दिया।

हम पूछना चाहते हैं कि जमात ने इस महामारी के चलते अपने कार्यक्रम को रद्द करने के लिए दूरदर्शिता क्यों नहीं दिखाई?

आज जब सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान कर रही है जहां उसने देश बंद करने का निर्णय लिया, जो आज अमेरिका जैसा देश भी नहीं ले पा रहा है तो देश के प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि वह सरकार के साथ सहयोग करे। वे सभी लोग जो जमात के कार्यक्रम में शामिल हुए थे और जिनके संक्रमित होने की आशंका है उन्हें अपने यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए और उनके दिशानिर्देश का पालन करना चाहिए, ताकि ये बीमारी दूसरों को फैलने से रोकी जा सके। इस तरह न केवल वे अपने परिवार और दोस्तों की रक्षा करेंगे बल्कि हदीस का पालन करते हुए एक जिम्मेदार मुस्लिम की भूमिका निभाएंगे और साथ राष्ट्र की सुरक्षा में भी योगदान देंगे।

मोतिहारी के पवन श्रीवास्तव केले की बेकार पड़ी थंब के फाइबर से मास्क बनाएंगे

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी, बिहार :

लॉकडाउन में जहां उद्योग धंधे से लेकर सभी काम ठप पड़े हैं। ऐसे में मोतिहारी के पवन श्रीवास्तव केले की बेकार पड़ी थंब से फाइबर धागा हैट, मैट(पूजा की आसनी) और लेडिज पर्स बनाकर में बना रहे हैं। उनका उत्पाद बाजार में घमाल मचा रहा है। अब वे केला फाइबर से मास्क बनाने की तैयारी में हैं। पवन आईटीआई फीटर ट्रेड व स्नातक डिग्रीधारी हैं।

पवन ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को खतरे को देखते हुए मास्क बनाने की योजना है। मास्क में केला फाइबर व खादी वस्त्र का उपयोग होगा। इसे स्वयं सहायता समूह की सहायता से तैयार कर उच्च बाजार में उतारने की तैयारी है।

पवन ने बताया कि पहले हैंडिक्राफ्ट का कार्य जानपुल, चांदमारी व आजाद नगर के स्वयं सहायता समूह की जीविका दीवियां करती थीं। लॉकडाउन से घर से निकलना मुश्किल है। ऐसे में वे खुद अपने निवास अंबिका नगर में केले के रेशे में रंग भरने से लेकर डिजाइन देने का काम करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर परिवार वाले हाथ बंटा देते हैं।

उन्होंने बताया कि फिलहाल लोकल बाजार में हैंडिक्राफ्ट सामग्री को ऑन डिमांड मुहैया कराते हैं। आगे ऑनलाइन शॉपिंग की तैयारी है। इसको लेकर कई मार्ट से संपर्क में हैं। उनके अनुसार अभी लॉक डाउन के कारण बात आगे नहीं बढ़ी है। स्थिति सामान्य होने के बाद इसको लेकर उनके स्तर से फिर पहल शुरू हो जायेगी।

टॉल प्लाजा के पास लगामी है मशीन

पवन ने चकिया टॉल प्लाजा के पास एक केले के बाग में 'बनाना फाइबर रिक्तंवर मशीन लगायी है। यह मशीन भी उन्होंने खुद बनायी है। फिलहाल एक दिन में करीब सौ थंब से तीस किलो तक फाइबर धागा बन रहा है।

राज्य के विभिन्न स्थानों पर फॉरनर्स रिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर को जानकारी दिये बिना ही रह रहे हैं करीब 150 तबलीगी जमात के लोग



आशीष राज, स्थानीय संपादक, न्यूज़ टुडे

राज्य के विभिन्न स्थानों पर करीब 150 लोग तबलीगी जमात के रह रहे हैं। ये लोग बिना किसी जिले के एफआरआरओ (फॉरनर्स रिजिनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर) को जानकारी दिये बिना ही रह रहे हैं। ये सभी लोग टूरिस्ट वीसा पर यहां आये हुए हैं और लंबे समय से यहीं रह रहे हैं। खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को इस मामले को लेकर फिर से आगाह किया है। खुफिया एजेंसियों ने राज्य सरकार को ऐसे लोगों की पहचान कर इन पर नियमानुसार उचित कार्रवाई करने का सुझाव भी दिया है। एक दिन पहले पटना में तबलीगी जमात के ऐसे ही 10 लोगों को वीसा उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार करके जेल भेजा है।

ये लोग भी टूरिस्ट वीसा लेकर आये थे और धर्म प्रचार कर रहे थे। इसके अलावा खुफिया एजेंसी ने यह भी कहा है कि कई क्रिश्चियन समुदाय के लोग भी विभिन्न स्थानों पर रहे हैं। इन लोगों की भी पहचान कर इनके वीसा की समुचित जांच करने की जरूरत बतायी गयी है। कुछ दिनों पहले दरभंगा में भी तबलीगी जमात के करीब 10 लोग टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्मा प्रचार कर रहे थे और इन्होंने वीजा के नियमों का उल्लंघन किया था। परंतु पुलिस जब तक इन पर कार्रवाई करती, तब तक ये लोग वापस विदेश लौट गये थे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें शरण देने वाले स्थानीय लोगों पर कार्रवाई की है। खुफिया एजेंसी ने ऐसी स्थिति से आगाह करते हुए समय रहते ऐसे लोगों की समुचित जांच करते हुए उचित कार्रवाई करने को कहा है।

नियमानुसार, टूरिस्ट वीजा पर जो विदेशी आते हैं, उसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि वे किन-किन स्थानों का भ्रमण करेंगे। परंतु यह देखा गया है कि ये लोग इन स्थानों से अलग भी कई स्थानों का भ्रमण किया है, जांच में इस बात की भी जरूरत बतायी गयी है। जानकारी के अनुसार टूरिस्ट वीसा पर आये लोगों को धर्म प्रचार या इससे जुड़े किसी तरह के काम में शामिल होने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होता है। इसमें प्रचार के लिए विशेष अनुमति के साथ वीसा लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे लोग जिस जिले में जाते हैं, वहां के एफआरआरओ यानी एसपी या एसएसपी को सूचना देना अनिवार्य होता है। परंतु तबलीगी जमात या ईसाई मिशनरी के लोगों ने इसकी सूचना नहीं दी है।

बच्चे को गोद में लेकर बहू ने किया सास का अंतिम संस्कार, लॉकडाउन के चलते नहीं पहुंच सके बेटे

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : देवरिया/ उत्तर प्रदेश :

महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन है। ऐसे में देवरिया जनपद की एक घटना ने लोगों की आंखों को नम कर दिया। दरअसल जनपद के सलेमपुर कस्बे की निवासी सुमित्रा देवी की शुक्रवार को अचानक मृत्यु हो गई उनके तीन बेटे होने के बावजूद अंतिम समय में कोई उनके पास नहीं था क्योंकि ये तीनों ही अलग-अलग जगहों पर नौकरी करते हैं और लॉकडाउन के चलते वहीं फंस गए। अंतिम समय में घर पर सुमित्रा देवी की बहू अपने दुग्धमूहे बच्चे के साथ उनके पास थीं। ऐसी विषम परिस्थितियों में सामाजिक कर्तव्यों को दरकिनार करते हुए बहू ने ही स्थानीय प्रशासन की मदद से सास की अर्थां को कन्या दिया और फिर अपने बच्चे को गोद में लेकर उनकी धिता को मुख्याग्नि भी दी। मले ही लॉकडाउन के चलते एक मां को मौत के बाद बेटों का कंधा नहीं नसीब हुआ लेकिन बहू ने जिस हिम्मत से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया उसे देखकर लोगों की आंखें भी भर आईं साथ ही उसकी हिम्मत की भी सभी दाद दे रहे हैं। बता दें कि लार थाना थाना क्षेत्र के तिलौली गांव की रहने वाली 70 वर्षीय सुमित्रा देवी के तीन बेटे हैं जो बाहर नौकरी करते हैं। सुमित्रा देवी अपने मंझले बेटे चंद्रशेखर की पत्नी नीतू और उनके बच्चों के साथ सलेमपुर कस्बे में किराए के कमरे में रहती थीं। शुक्रवार को सुमित्रा की तबीयत अचानक खराब हो गई। लोगों की मदद से बहू नीतू उन्हें सामुदायिक चिकित्सालय के ले गईं, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

Winner Credit Co-Operative Society Limited

विजय आजीवन साथी

नरवकी डिजिटल है...

- जमा अवधि: 12 वर्ष (वार्षिक)
- न्यूनतम घन राशि: 10000/- तथा 10000/- के गुणांक में
- जमा अवधि पूरी होने पर परिपक्वता घन राशि = कुल जमा राशि
- पेशान देय: 12 वर्ष के उपरान्त (आजीवन)

उदाहरण: यदि कोई जमाकर्ता 100000 रुपये प्रति वर्ष 12 वर्ष तक नियमित रूप से जमा करता है तो उसे परिपक्वता घन राशि के रूप में कुल जमा राशि 1 लाख 30000 रुपये प्रति माह पेशान के रूप में आजीवन देय होगा।

विशेष: आयु: 18 से 60 वर्ष

जमा अवधि समाप्त होने पर कुल जमा घन राशि वापस पार्षद तथा जमा बच राशि के अनुसार पेशान जीवन काल तक पार्षद जमा करता है तो उसे परिपक्वता घन राशि के रूप में कुल जमा राशि 1 लाख 30000 रुपये प्रति माह पेशान के रूप में आजीवन देय होगा।

Terms & Conditions: अतिरिक्त काल होने पर परिपक्वता अवधि के उपरान्त परिपक्वता घन राशि 10% बोनस के साथ देय होगी अतिरिक्त काल होने पर Revival Charge 2% मासिक चरसुद्धि ब्याज के अलावा देय होगा। पेशान खाताधारी, उसके बाद Spouse, उसके बाद पुत्र दर पुत्र मिलेगा

युवा चिकित्सक डॉ गोपाल कुमार सिंह जीवन रक्षक सम्मान से हुए सम्मानित



सम्पाट, संवाददाता, न्यूज़ टुडे : मोतिहारी, बिहार

पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड के मोखलिसपुर निवासी गौतम बुद्ध दर्द उपचार क्लिनिक के निदेशक सह चंपारण समाज कल्याण मंच के संस्थापक अध्यक्ष मोतिहारी के चर्चित युवा चिकित्सक डॉ गोपाल कुमार सिंह को कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम हेतु लोगों को जागरूक बनाने एवं समाजिक कार्यों में विशेष उत्कृष्ट योगदान के लिए राष्ट्रीय हिन्दी मासिक स्वास्थ्य पत्रिका आरोग्य गुरु द्वारा जीवन रक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया।

डॉ. गोपाल सोशल मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से समाज में लोगों को जानलेवा रोगों से बचाव के बारे में जागरूक बनाने में हमेशा लगे रहते हैं। यहाँ बता दें कि इससे पहले चिकित्सा एवं समाजसेवा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए डॉ. गोपाल कुमार सिंह को समाजिक योद्धा सम्मान एवं हेल्थ केयर अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है।

डॉ. गोपाल को जीवन रक्षक सम्मान मिलने पर अनेक लोगों ने बधाई दिया है। बधाई देने वालों में डॉ. रजनीश सिंह, डॉ. शैलेश कुमार, डॉ. मुन्ना गुप्ता, अजय सिंह, गोविन्द सिंह सहित अन्य गणमान्य लोग शामिल हैं।

कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन की अवधि भले ही बढ़ने जा रही हो, ले, किन सभी मंत्रालयों को ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के निर्देश दिए प्रधानमंत्री ने



सुनील चौधरी, संवाददाता, न्यूज़ टुडे : नई दिल्ली

कोरोना संकट की वजह से जारी लॉकडाउन की अवधि भले ही बढ़ने जा रही हो, लेकिन अर्थव्यवस्था को गति देने का काम शुरू होने जा रहा है। सभी मंत्रालयों को ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से योजना बनाने के लिए कहा गया है। शनिवार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक के बाद सभी केंद्रीय मंत्रियों को सोमवार से मंत्रालय का कामकाज फिर से शुरू करने के लिए कहा गया।

संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए दफ्तर आने के निर्देश

सूत्रों के मुताबिक सरकार की तरफ से जारी निर्देश के मुताबिक सभी मंत्रियों के साथ संयुक्त सचिव एवं उनसे ऊपर के सभी अफसरों को भी सोमवार से मंत्रालय में अपने काम पर लौटने के निर्देश दिए गए हैं। सभी मंत्रालयों में एक तिहाई आवश्यक कर्मचारियों को भी काम पर आने के लिए कहा गया है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के निर्णयों का पालन करने के साथ मंत्रालय का कामकाज फिर से शुरू किया जा सके।

मंत्रालय इस वरीयता को भी तय करेंगे कि कौन से काम को पहले किया जाना चाहिए या और कौन सा बाद में। लॉकडाउन के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। आर्थिक उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर इन लोगों की रोजी-रोटी के इंतजाम के साथ रोजाना हो रहे हजारों करोड़ों रूपए के नुकसान को भी कम करने की योजना है।

मंत्रालय इस वरीयता को भी तय करेंगे कि कौन से काम को पहले किया जाना चाहिए या और कौन सा बाद में। लॉकडाउन के बाद सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 40 करोड़ लोगों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना है। आर्थिक उत्पादन को चरणबद्ध तरीके से शुरू कर इन लोगों की रोजी-रोटी के इंतजाम के साथ रोजाना हो रहे हजारों करोड़ों रूपए के नुकसान को भी कम करने की योजना है।

कोविड-19 वायरस की चेन को तोड़ने के लिए पिछले 25 मार्च से लॉकडाउन जारी है जिसकी अवधि 14 अप्रैल को समाप्त हो रही है। इस दौरान सभी मंत्री एवं मंत्रालय के अधिकारी घर से काम कर रहे हैं और वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए एक-दूसरे से संपर्क में हैं। स्वास्थ्य और गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी लॉकडाउन में भी बाहर निकल कर काम कर रहे हैं।

कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही बढ़ोतरी को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि को अगले दो सप्ताह के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है। कई राज्यों ने अपने-अपने

न्यूज़ टुडे एक्सक्लूसिव :

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया, कहा - नियम और भी सख्त होंगे



ई. युवराज,
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :

कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित करते हुए लॉकडाउन को 3 मई तक हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना हम करते आ रहे हैं।

क्या कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

- लॉकडाउन के नियम अगर टूटते हैं और कोरोना का पैर हमारे इलाके में पड़ता है तो सारी अनुमति वापस ले ली जाएगी। इसलिए न खुद लापरवाही करनी है और न दूसरों को लापरवाही करने देनी है: पीएम मोदी
- जो क्षेत्र इस अग्निपरीक्षा में सफल होंगे, जो हॉटस्पॉट में नहीं होंगे, और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है: पीएम मोदी
- अगले एक सप्ताह में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कठोरता और ज्यादा बढ़ाई जाएगी। 20 अप्रैल तक हर कस्बे, हर थाने, हर जिले, हर राज्य को परखा जाएगा, वहां लॉकडाउन का कितना पालन हो रहा है, उस क्षेत्र ने कोरोना से खुद को कितना बचाया है, ये देखा जाएगा: पीएम मोदी
- मेरी सभी देशवासियों से प्रार्थना है कि अब कोरोना को हमें किसी भी कीमत पर नए क्षेत्रों में फैलने नहीं देना है। स्थानीय स्तर पर अब एक भी मरीज बढ़ता है तो ये हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए: पीएम मोदी
- यानि 3 मई तक हम सभी को, हर देशवासी को लॉकडाउन में ही रहना होगा। इस दौरान हमें अनुशासन का उसी तरह पालन करना है, जैसे हम करते आ रहे हैं: पीएम मोदी
- सभी का यही सुझाव है कि लॉकडाउन को बढ़ाया जाए। कई राज्य तो पहले से ही लॉकडाउन को बढ़ाने का फैसला कर चुके हैं। सारे सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये तय किया गया है कि भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा: पीएम मोदी
- इन सब प्रयासों के बीच, कोरोना जिस तरह फैल रहा है, उसने विश्वभर के हेल्थ एक्सपर्ट्स और सरकारों को और ज्यादा सतर्क कर दिया है। भारत में भी कोरोना के खिलाफ लड़ाई अब आगे कैसे बढ़े, इसे लेकर मैंने राज्यों के साथ निरंतर बात की है: पीएम मोदी
- अगर सिर्फ आर्थिक दृष्टि से देखें तो अभी ये मंहगा जरूर लगता है लेकिन भारतवासियों की जिंदगी के आगे इसकी कोई तुलना नहीं हो सकती। सीमित संसाधनों के बीच, भारत जिस मार्ग पर चला है, उस मार्ग की चर्चा आज दुनियाभर में हो रही है: पीएम मोदी
- आज विश्व में कोरोना वैश्विक महामारी की जो स्थिति है, आप उसे मली-मांति जानते हैं। अन्य देशों के मुकाबले, भारत ने कैसे अपने यहां संक्रमण को रोकने के प्रयास किए, आप इसके सहभागी भी रहे हैं और साथी भी रहे हैं: पीएम मोदी
- आज भारत बहुत संभली हुई स्थिति में है। करीब एक महीने पहले कई देश कोरोना संक्रमण के मामले में तकरीबन भारत के बराबर थे। आज उन देशों में कोरोना के केस भारत के मुकाबले 25-30 प्रतिशत ज्यादा हैं। वहां कई लोगों की मृत्यु हो गई है: पीएम मोदी
- जब हमारे यहां कोरोना वायरस के सिर्फ 550 केस थे, तभी भारत ने 21 दिन के संपूर्ण लॉकडाउन का एक बड़ा कदम उठा लिया था। भारत ने समस्या बढ़ने का इंतजार नहीं किया, बल्कि जैसे ही समस्या दिखी, उसे तेजी से फैंसले लेकर उसी समय रोकने का प्रयास किया: पीएम मोदी
- आप लोगों ने कष्ट सहकर भी अपने देश को बचाया है। हमारे भारतवर्ष को बचाया है। मैं जानता हूँ, आपको कितनी दिक्कत आई है। किसी को खाने की परेशानी, किसी को आने-जाने की परेशानी, कोई घर-परिवार से दूर है: पीएम मोदी
- कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ भारत की लड़ाई बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। आप सभी देशवासियों की तपस्या, आपके त्याग की वजह से भारत अब तक, कोरोना से होने वाले नुकसान को काफी हद तक टालने में सफल रहा है: पीएम मोदी

रेड, ऐलो और ग्रीन जोन

सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए देश को तीन क्षेत्रों रेड, ऐलो और ग्रीन जोन में बांटा गया है। रेड जोन में जहां कोरोना महामारी का संकट है वहां लॉकडाउन के साथ हॉट स्पॉट के इलाकों को सील रखा जाएगा। वहीं ऐलो जोन में जहां कोरोना के मामले ज्यादा नहीं हैं वहां लॉकडाउन के साथ आवश्यक और सीमित आर्थिक गतिविधियों की इजाजत दी जा सकती है। जबकि ग्रीन जोन जहां कोरोना का कोई असर नहीं है उसे संक्रमण से बचाए रखने के उपायों के साथ आर्थिक गतिविधियों को स्थानीय स्तर पर जारी रखने की छूट का प्रस्ताव है।

सीएम केजरीवाल ने दिया था संकेत

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक के बाद कहा था कि लॉकडाउन का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने बैठक के बाद किए अपने ट्वीट में लिखा, 'प्रधानमंत्री ने लॉकडाउन बढ़ाने का सही फैसला लिया है। आज, भारत की स्थिति कई विकसित देशों से बेहतर है क्योंकि हमने पहले ही लॉकडाउन शुरू करने का फैसला ले लिया था। अगर इसे अभी खत्म कर दिया गया तो सारी कोशिशों पर पानी फिर जाएगा। लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला जरूरी है।'

कई राज्यों ने पहले ही बढ़ाया लॉकडाउन

प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन बढ़ाने के ऐलान से पहले सोमवार को पीएमओ और तमाम मंत्रालयों के आला अफसरों के साथ अंतिम दौर की मंत्रणा की। जैसे महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत सात राज्यों ने अपने सूबों में 30 अप्रैल तक लॉकडाउन बढ़ाए जाने की घोषणा पहले ही कर दी है। इसीलिए पुख्ता समाधान यही है कि पीएम मोदी भी देशव्यापी लॉकडाउन को दो हफ्ते और बढ़ाने का ऐलान करेंगे।

लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत

प्रधानमंत्री ने कोरोना के खतरों के बीच अर्थव्यवस्था और रोजगार के मोर्चे की इन चुनौतियों को देखते हुए मुख्यमंत्रियों के साथ 11 अप्रैल को हुई बैठक में स्पष्ट संकेत दिया था कि लॉकडाउन को दो हफ्तों के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पहला चरण 'जान है तो जहान है' पर फोकस था, लेकिन लॉकडाउन के दूसरे चरण में 'जान भी जहान भी' पर फोकस किया जाएगा।

लॉकडाउन का दूसरा चरण 'जान भी जहान भी'

तीन हफ्ते पहले देश के नाम अपने संबोधन में पीएम मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 'जान है तो जहान है' की बात की थी। जिसमें जान बचाने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया गया था। माना जा रहा है कि लॉकडाउन के दूसरे चरण 'जान भी जहान भी' में कुछ प्रतिबंधों में छूट मिल सकती है।

लॉकडाउन में पुलिस ने गर्भवती को अस्पताल पहुंचाकर मानवता का परिचय दिया

आशीष राज,
स्थानीय संपादक, न्यूज़ टुडे

पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी स्थित छतौनी पुलिस ने एक बेहतर तरीके से शनिवार को कार्य किया है। छतौनी पुलिस हमेशा जनता की रक्षा एवं सुरक्षा को लेकर हमेशा तत्पर रहती है, चाहे वह विधि व्यवस्था हो और सुरक्षा व्यवस्था यही स्थिति आज देखने को मिली है।

थानाक्षेत्र अंतर्गत खुशबू देवी जो धर्म समाज की रहने वाली हैं वह गर्भवती थी, अचानक दर्द होने पर छतौनी थानाध्यक्ष मुकेश चंद्र कमर ने सूचना मिलते ही गस्ती टीम को धर्म समाज भेजकर गर्भवती महिला को सदर अस्पताल पहुंचाया।

बताते चलें कि भारतवर्ष में कोरोना को लेकर लॉक डाउन किया गया है, जिसके कारण सवारियों का परिचालन बंद है। लोग डरे और सहमे हुए हैं। इस प्रकार छतौनी थाना के द्वारा किया गया कार्य काफी सराहनीय एवं प्रशंसनीय के साथ मानवता से ओतप्रोत है। अगर समय पर पुलिस नहीं पहुंच कर सदर अस्पताल पहुंचती तो कुछ भी कहना मुश्किल था।

भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों को तीन मई तक रद्द करने के बाद यात्रियों को इस अवधि के इ-टिकट कैसेल करने की जरूरत नहीं,

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :

भारतीय रेलवे के उपक्रम आईआरसीटीसी ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि भारतीय रेलवे द्वारा ट्रेनों को तीन मई तक रद्द करने के बाद यात्रियों को इस अवधि के इ-टिकट

www.newstodayupdate.in

कैंसल करने की जरूरत नहीं है। समाचार एजेंसी एनआइ के एक ट्वीट के मुताबिक आईआरसीटीसी ने यात्रियों से कहा है कि लोगों को ऑटोमैटिकली फुल रिफंड मिल जाएगा।

इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) ने स्पष्ट किया कि इ-टिकट खुद से कैंसल हो जाएगा और यात्रियों को ऑरिजिनल मोड ऑफ पेमेंट में पूरा रिफंड मिल जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशभर में 25 मार्च से लागू लॉकडाउन को तीन मई, 2020 तक जारी रखने की घोषणा की। उन्होंने कहा देश में कोरोनावायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाना जरूरी है।

देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद भारतीय रेलवे ने सभी यात्री ट्रेनों को रद्द करने का ऐलान किया। इसके बाद आईआरसीटीसी की ओर से टिकट कैंसलेशन और रिफंड को लेकर यह जानकारी दी गई है।

इससे पहले भारतीय रेलवे ने कहा कि प्रीमियम ट्रेनों, मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों, वैसेंजर ट्रेनों, उपनगरीय ट्रेनों, कोलकाता मेट्रो रेल, कोंकण रेलवे सहित सभी यात्री ट्रेनों की सेवाएं तीन मई की रात्रि 12 बजे तक निलंबित रहेंगी।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पॉस मशीन से नहीं होगा राशन का वितरण

www.newstodayupdate.in

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : मोतिहारी, बिहार :

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए पॉस मशीन से राशन का वितरण नहीं होगा। ऑफ लाइन सिस्टम से राशन का वितरण किया जाएगा। यह निर्देश बीसी के माध्यम से समीक्षा के दौरान गुरुवार संध्या खाद्य व उपभोगा संरक्षण विभाग ने दिया है।

राज्य सरकार के निर्देशानुसार अस्वीकृत आवेदनों की समीक्षा कर उन्हें स्वीकृति प्रदान कर नया राशन कार्ड नियत समय पर निर्गत करें। सरकार लॉक डाउन अवधि में पात्र लाभुकों के बीच मुफ्त अनाज वितरण को संकल्पित है। कोरोना वायरस को लेकर पीडीएस दुकानों पर मीड माड नहीं हो, इसके लिए शिफ्टवाइज राशन वितरण के लिए जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया।

पॉस मशीन पर अंगुठा लगाने से कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता गया है। इसको लेकर पुराने नियम से ही डीलरों को राशन वितरण करने का निर्देश दिया गया। पीडीएस दुकानों पर हैंडवाश कराने की व्यवस्था अवश्य रखें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में होना चाहिए।

डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने जिलेवासियों से कोविड 19 के संक्रमण से बचाव के लिए अपना हाथ 20 सेकंड तक साबुन से धोने व अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की।

प्रशासनिक अधिकारियों की जानकारियों के बाद भी तबलीगी जमात को रोकने में नाकाम रहा पुलिस प्रशासन, इसलिए खराब हुआ मामला

www.newstodayupdate.in

डा. राजेश अस्थाना,
एडिटर इन चीफ, न्यूज़ टुडे मीडिया समूह :

कहीं भी धार्मिक स्थल पर जुटे लोगों को वहां से हटाना बेहद संवेदनशील मामला है। दिल्ली के निज। मुद्दीन स्थित तबलीगी मस्जिद पर जुटे बड़ी संख्या में जमातियों को हटाने के लिए जो कार्य अब किया गया, उसे काफी पहले किया जाना चाहिए था। इसके लिए भारी संख्या में पुलिस बल की जरूरत पड़ती, विवाद भी हो सकता था, लेकिन इन स्थितियों से निबटने के लिए ही पुलिस बल को तैयार किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जो सामने आ चुकी है, कमी रह गई तो मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित और प्रभावी कार्रवाई करने की। किराई भी स्तर पर ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे वहां लोगों को एकत्र होने से रोका जा सके। जब मामला हाथ से निकलता नजर आया तो पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। अब पूरे देश में उन लोगों की तलाश की जा रही है, जो यहां एकत्र हुए थे, अगर लोगों को एकत्र होने से रोका जाता, या समय रहते सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता, तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती।

प्रशासन को कार्रवाई करने में सक्षम के पास बल की कमी है, कमी रह संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित करने की। पुलिस उनके साथ बैठक की कार्रवाई सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह जाती है। प्रशासन की कार्रवाई वहां का निरीक्षण करने तक सिमट जाती है।

ऐसा नहीं है कि प्रशासन को कार्रवाई करने में सक्षम के पास बल की कमी है, कमी रह संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित करने की। पुलिस उनके साथ बैठक की कार्रवाई सिर्फ बैठक तक ही सीमित रह जाती है। प्रशासन की कार्रवाई वहां का निरीक्षण करने तक सिमट जाती है।

किसी भी स्तर पर ऐसा कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया, जिससे वहां लोगों को एकत्र होने से रोका जा सके। जब मामला हाथ से निकलता नजर आया तो पुलिस और प्रशासन ने कार्रवाई की। अब पूरे देश में उन लोगों की तलाश की जा रही है, जो यहां एकत्र हुए थे, अगर लोगों को एकत्र होने से रोका जाता, या समय रहते सभी लोगों को क्वारंटाइन कर दिया जाता, तो शायद स्थिति इतनी गंभीर नहीं होती। पुलिस को वहां के प्रबंधन से बात करनी चाहिए थी। पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए था कि लोग एकत्र ही न हो।

धारा-188 और महामारी अधिनियम के तहत तत्काल कार्रवाई की जानी चाहिए थी। जब सड़क पर 100-188 का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है, तो फिर इस कानून को सभी के लिए समान रूप से लागू किया जाना चाहिए था। कानून तो सभी के लिए एक समान है। जब कानून एक समान है तो फिर कार्रवाई भी एक समान होनी चाहिए। पुलिस और प्रशासन ने जब कानून लागू किया है, तो उसके तहत कार्रवाई भी उन्हें ही करनी है।

दिल्ली स्थित हजरत निजामुद्दीन मस्जिद के जमातियों की तलाश पूरे बिहार में जारी, 28 गिरफ्तार कर भेजे गए जेल, नौ से चल रही कड़ी पूछताछ

www.newstodayupdate.in

बक्सर जिले के नया भोजपुर से 14 दिन पहले क्वारंटाइन किये गए 7 इंडोनेशिया और 4 मलेशिया नागरिकों को बीजा नियमों के उल्लंघन में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। अब कोरोना के चक्कर में पकड़ गए तो पता चला कि वर्षों से यह गड़बड़ी चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं।

समनपुरा और फुलवारीशरीफ में विदेशियों के साथ एक-एक भारतीय भी थे। दोनों अनुवादक के रूप में मस्जिद से पटना आए थे। इन दोनों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इधर पुलिस ने जिल 17 विदेशियों को जेल भेजा, उससे पहले कोरोना का टेस्ट भी कराया था। सबकी रिपोर्ट निगेटिव आई।

बीजा नियमों के उल्लंघन को लेकर पटना में भी सोमवार को गिरफ्तारी हुई है। ये विदेशी टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं। ऐसे लोगों को धर्म प्रचार की अनुमति नहीं होती। अब कोरोना के चक्कर में पकड़ गए तो पता चला कि वर्षों से यह गड़बड़ी चल रही थी। बड़ी संख्या में लोग टूरिस्ट वीजा लेकर भारत आते हैं और धर्म का प्रचार करते हैं।

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के बाद पटना पुलिस ने सोमवार को फुलवारीशरीफ के संगी मस्जिद में क्वारंटाइन किए किर्गिस्तान के 7 और समनपुरा के एक अपार्टमेंट में क्वारंटाइन किए इसी देश के 10 जमाएत से जुड़े लोगों को गिरफ्तार कर लिया। फुलवारीशरीफ और शास्त्रीनगर थाना की पुलिस अपने-अपने इलाकों से 17 को कोर्ट ले गई जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में बेउर जेल भेज दिया गया। इस बाबत फुलवारीशरीफ थाना में 7 पर एक केस दर्ज हुआ है जबकि एक केस इन 10 विदेशियों पर दीघा थाना में दर्ज किया गया है। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग टूरिस्ट वीजा पर आए थे पर यहां धार्मिक प्रचार-प्रसार कर रहे थे। एसएसपी चंपेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि गृह मंत्रालय के आदेश पर केस दर्ज हुआ है। इन लोगों पर विदेशी अधिनियम 1946 की धारा 14 बी के तहत केस दर्ज किया गया है।

NEWS TODAY UPDATE
www.newstodayupdate.in
A Fast Growing Web News Portal

कोविड-19 के विश्वव्यापी संकट के दौरान यदि इस्लाम और कुरान शरीफ की सलाह पर अमल किया जाता तो आज न तो देश के संक्रमितों में एक तिहाई तब्लीगी जमात वाले होते, न ही जमात के अमीर मौलाना साद को यूं मुंह छिपा कर भागना पड़ता। क्योंकि कुरान शरीफ की सूरा संख्या 5 में स्पष्ट कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो, उसके कायदे-कानून और वहां के हुक्मरानों की बात को मानो।

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : नई दिल्ली :

कोविड-19 के विश्वव्यापी संकट के दौरान यदि इस्लाम की सलाह पर अमल किया जाता तो आज न तो देश के संक्रमितों में एक तिहाई तब्लीगी जमात वाले होते, न ही जमात के अमीर मौलाना साद को यूं मुंह छिपा कर भागना पड़ता। क्योंकि कुरान शरीफ की सूरा संख्या 5 में स्पष्ट कहा गया है कि जिस मुल्क में रहते हो, उसके कायदे-कानून और वहां के हुक्मरानों की बात को मानो।

सरकार के निर्देशों एवं इस्लाम की शिक्षा में समानता

हजरत निजामुद्दीन की तब्लीगी जमात में हुई गलतियों पर पर्दा डालने के लिए आज भले कुछ लोगों द्वारा कुतर्क गढ़े जा रहे हों, लेकिन कुछ ऐसे पढ़े-लिखे मुसलमान तथ्यों के साथ सामने आ रहे हैं, जो कोविड-19 जैसे खतरनाक संक्रामक रोग से बचने के लिए सरकार के निर्देशों एवं इस्लाम की शिक्षा में समानता पाते हैं। इन्होंने से एक महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सैय्यद मुजफ्फर हुसैन कहते हैं कि जिस मजहब की आसमानी किताब और उसके हजूर पैगंबर मुस्तफा मुहम्मद सल्लेअला, हुअलेहिबसल्लम (ऽ) ने इन पाबंदियों एवं एहतियातों का जिम्मा हजारों साल पहले किया था, आज 21वीं शताब्दी में विज्ञान उन्हीं का पालन करने को कह रहा है।

मुल्क के लोगों की हिफाजत करें

ऐसे में इस्लाम के मानने वालों का फर्ज बनता है कि वे

अपने मजहब के बताए हुए रास्तों पर चलें एवं अपनी, समाज की एवं पूरे मुल्क के लोगों की हिफाजत करें एवं सरकार के निर्देशों का हू-ब-हू पालन करें। वह कहते हैं कि इसके बावजूद यदि कोई कोरोना वायरस की महामारी के दौरान सरकार के निर्देशों का उल्लंघन करे, तो समाज एवं मुल्क के खिलाफ हरकत करनेवाले ऐसे इंसान को गैरजिम्मेदार माना जाएगा।

हदीस में कहा गया है कि संक्रामक बीमारी के दौरान उन जगहों पर जाने से परहेज करें

दो बार महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य रहे मुजफ्फर हुसैन हजूर मुस्तफा मुहम्मद सल्लेअलाहुअलेहिबसल्लम (ऽ) की हदीस में दी गई सलाहों का पृष्ठ एवं सूरा संख्या के साथ उद्धरण देते हुए कहते हैं कि हदीस में संक्रामक रोग के दौरान लॉक डाउन जैसे उपाय के निर्देश भी दिए गए हैं। हदीस में कहा गया है कि संक्रामक बीमारी के दौरान उन जगहों पर जाने से परहेज करें, जहाँ पर ये महामारी हो। और अगर आप उसी शहर में, या उसी जगह पर हों। तो उस जगह को छोड़कर बाहर न जाएं। अल बुखारी (5739) एवं अल मुस्लिम (2219)। आज सरकार 'सोशल डिस्टेंसिंग' एवं 'करैरटाइन्' की बात कर रही है। हदीस में भी संक्रामक रोग से पीड़ित व्यक्ति को सेहतमंद लोगों से दूर रखने की हिदायत दी गई है। अल बुखारी 6771 एवं अल मुस्लिम 2221। यही नहीं जिस शख्स को कोरोना जैसा संक्रामक रोग हो, शेष समाज को उससे दूर रहने की हिदायत भी दी गई है। ख़ाशी अल बुखारी बाल्यूम 07-71- 608।

हदीस में साफ कहा गया है यदि आप संक्रमित हैं तो दूसरों को मुसीबत में न डालें

आज तब्लीगी जमात के लोग हजरत निजामुद्दीन की मरकज से निकलकर देश भर में इस रोग का प्रसार करते घूम रहे हैं। जबकि हदीस में साफ कहा गया है यदि आप संक्रामक रोग से पीड़ित हैं, तो आपका फर्ज है कि दूसरों तक इसे न पहुंचने दें। दूसरों को मुसीबत में न डालें। सुनान इब्न मजहा (2340)। सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हुए कई इलाकों में आज भी लोग सामूहिक नमाज की जिद टाने बैठे हैं। जबकि इस्लाम की आसमानी किताब हदीस में कहा गया है कि ऐसी महामारी के वक आपका घर ही आपकी मरिजद है। जो सवाब (पुण्य) मरिजद में नमाज का है। ऐसे समय में वही सवाब घर में पढ़ी हुई नमाज का है। अल तिरमजी(अल-सलाह, 291)। इन दिनों कोरोना से बचने के लिए फेस मारिकिंग एवं हाथ धोने को जरूरी बताया जा रहा है।

साफ-सफाई ही आधा इमान

मुजफ्फर हुसैन हदीस का उल्लेख करते हुए (अबू दाऊद, अल तिरमजी, बुक 43, हदीश 2969), शाही, कहते हैं कि जब हजूर मुस्तफा मुहम्मद सल्लेअलाहुअलेहिबसल्लम को छींक या खांसी आती थी, तो वह खुद के कपड़े से अपना मुंह ढक लिया करते थे। हजूर ने फरमाया कि अपने घर आते ही अपने हाथ धो लें। साफ-सफाई ही आधा इमान है। वैसे भी इस्लाम में पांचवका नमाज फर्ज है, और नमाज से पहले वजू फर्ज है। अल मुस्लिम (223),

एक्सक्लूसिव : कोरोना बम का कैंसर बनकर लौटे तब्लीगी जमात के मरकज में शामिल लोग, विदेशियों का वीजा रद्द, कोरोना 'हॉटस्पॉट' बना निजामुद्दीन

न्यूज़ टुडे टीम एक्सक्लूसिव : नई दिल्ली :

दक्षिण दिल्ली की वह इमारत जहां निजामुद्दीन मरकज के तहत कई देशों के लोग वहां पहुंचे थे, उसे केंद्र द्वारा कोरोनावायरस हॉटस्पॉट (जहां संक्रमित लोगों की संख्या ज्यादा है) घोषित किया गया है, कई पाबंदियों के बावजूद निजामुद्दीन में उठने बड़े स्तर पर तब्लीगी जमात का मरकज आयोजित हो गया यह मरकज देश में कोरोना संक्रमण का सबसे बड़ा केंद्र साबित होने लगा है, इससे केंद्र और राज्यों सरकारों की विचारों बढ़ने लगी हैं, मरकज से घर लौटे लोग कोरोना का कैंसर बनकर लौटे हैं और सरकार को उन्हें ढूँढने में भी परेशानी आ रही है.



न्यूज़ टुडे टीम एक्सक्लूसिव

www.newstodayupdate.in

इस तब्लीगी जमात के मरकज को लेकर गृह मंत्रालय का बयान आया है, गृह मंत्रालय के मुताबिक, उसने 21 मार्च को ही राज्यों को अलर्ट किया था और देश में जमात कार्यक्रमों का विवरण भी साझा किया था. इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और डीजीपी के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर, दिल्ली को भी निर्देश जारी किए गए थे. तेलंगणा में कोरोना के पॉजिटिव मामलों के मामले आते ही गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया था. बता दें कि इस वक देश लॉकडाउन भी नहीं हुआ था. ऐसे में क्या तब्लीगी जमात को लेकर राज्यों की पुलिस से तूक हुई, ये अब बड़ा सवाल है. वहीं, मंत्रालय ने आगे कहा कि उसने 28 मार्च को भी राज्यों के डीजीपी को पत्र लिखा था और कहा था जो भी विदेशी हैं जिन्होंने तब्लीगी के गतिविधियों में हिस्सा लिया था, उनका पता लगाएं.

गृह मंत्रालय के बयान के मुताबिक, अब तक जमात के 1339 कार्यक्रमों को नोटवा, सुल्तानपुरी और बककरवा, 17वा वारनटौन केंद्र और अन्य अस्पतालों में स्थानांतरित कर दिया गया है, सभी राज्य पुलिस इन सभी विदेशी जमात कार्यक्रमों के वीजा भेजियों की जांच द्वारा वीजा शर्तों के उल्लंघन के मामलों पर आगे की कार्रवाई करेंगी. इस मरकज में आने के बाद हजारों की संख्या में लोग अपने-अपने घर लौट चुके हैं और इनमें से ज्यादातर कोविड-19 का फेक्टर बनकर लौटे हैं जो अपने संपर्क में आ चुके लोगों को संक्रमित करने का काम कर रहे हैं.

जमात के चलते देश में कोरोना संक्रमण का विस्फोट

निजामुद्दीन इलाके में तब्लीगी जमात के एक कार्यक्रम के चलते देश में कोरोना वायरस के संक्रमण की विस्फोटक स्थिति पैदा हो गयी है. देशभर में 224 नये मामले सामने आए हैं, जो एक दिन में नए मामलों का सबसे बड़ा आंकड़ा है. इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या 15 सौ को पार कर गई है. सबसे ज्यादा दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में संक्रमितों के मामले हैं और इनमें से ज्यादातर वही हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल हुए थे.

सरकार की बड़ी कार्रवाई

दिल्ली पुलिस ने तब्लीगी मरकज प्रमुख मौलाना साद और प्रबंधन से जुड़े लोगों के खिलाफ महामारी रोक आदि नियम की विभिन्न धाराओं और आपराधिक साजिश रखने की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप है कि उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, उपचार और सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से अनदेखी की. जबकि दिल्ली में जनता कर्फ्यू से पहले ही पांच से अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्र होने की मनाही थी.

विधायक आतिशी ने दिल्ली पुलिस पर उठाए सवाल

आम आदमी पार्टी (AAP) की विधायक आतिशी ने तीन दिन का इज्तिमा (मजहबी मकसद से एक स्वास जगह जमा होना) आयोजित करने के लिए निजामुद्दीन मरकज के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम, उपचार और सुरक्षा उपायों की पूरी तरह से अनदेखी की. जबकि दिल्ली पुलिस द्वारा अपेक्षित कदम नहीं उठाने पर भी सवाल किया.

कोरोना वेन तोड़ना काफी मुश्किल

फरवरी के अंत और मार्च की शुरुआत में यहां आयोजित हुए मरकज में देश के कोने-कोने से लोग आए और इनमें से ज्यादातर लौटे लोग कोरोना वायरस का कैंसर बनकर लौटे हैं, सरकार की योजना है कि जल्दी से जल्दी उन लोगों को घूमने से रोक दिया जाए जिन्होंने यहां शिरकत की और जो इन लोगों के संपर्क में अब तक आ चुके हैं. उनके संपर्क में आए लोग इस वायरस को फैलाने वाले अगले कैंसर बन गए हैं. सरकार को कोरोना की इस वेन को तोड़ने के लिए काफी मुश्किल पड़ रही है.

कोरोना वायरस के भय और लॉक डाउन की वजह से दुनिया छोड़ चुके लोगों को अंतिम यात्रा में भी अपने नाते-रिश्तेदारों का नहीं मिल पा रहा साथ

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना, बिहार :

कोरोना वायरस के भय और लॉक डाउन की वजह से दुनिया छोड़ चुके लोगों को अंतिम यात्रा में भी अपने नाते-रिश्तेदारों का साथ नहीं मिल पा रहा. लॉक डाउन के दौरान जमावड़े पर प्रतिबंध लगे होने की वजह से इक्के-दुक्के लोग ही शव लेकर अंतिम संस्कार को पहुंच पा रहे हैं.

बांस घाट में सामान्य दिनों की अपेक्षा शव (डेड बॉडी) कम पहुंच रहा है. जहां अमूमन आठ से दस शव को लेकर लोग पहुंचते थे. उसकी संख्या अधिकतम दो से तीन हो गयी है. इसकी वजह है कि कोरोना वायरस को लेकर हुए लॉक डाउन से दूर-दराज से लोग शव को लेकर नहीं आ रहे हैं. जो इक्का-दुक्का शव का आना हो रहा है, उनके साथ अधिक से अधिक 10 से 12 लोग पहुंच रहे हैं. जबकि दूर दराज से आनेवाले ट्रैक्टरों, छोटी गाड़ियों में भर कर आते थे. आसपास के लोग बड़ी संख्या में मंजिल के साथ आते थे, अभी उन लोगों की संख्या भी कम हो गयी है.

पटना के बांस घाट पर रहनेवाले लोगों ने बताया कि शव लेकर आनेवाले तो सामाजिक दूरी का पालन नहीं करते हैं. सभी लोग एक ही साथ रहते हैं, लेकिन लोगों की संख्या कम होने से भीड़ नहीं जुट रही है. लोगों के मन में भय बना हुआ है.

हालांकि अधिकांश शव का दाह संस्कार विद्युत शवदाह गृह में हो रहा है. इसमें अधिक समय भी नहीं लगता है. लोगों को परेशानी भी कम होती है. वहीं, लकड़ी लेकर दाह संस्कार करने का काम नहीं हो रहा है. बांस घाट पर दुकान सजा कर बैठे दुकानदारों ने बताया कि इधर कुछ दिनों से दुकानदारी भी ठप है. पहले की अपेक्षा लोग शव को लेकर कम पहुंच रहे हैं. दूर-दराज से आनेवाले यहां चाय, नाश्ता आदि करते हैं. मंजिल के साथ आनेवाले को खिलाने की व्यवस्था की जाती है. लॉक डाउन होने से आसपास की सभी दुकानें बंद हैं. इस वजह से दूर-दराज सहित आसपास से भी लोग नहीं पहुंच रहे हैं.

गौरतलब है कि बिहार में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ कर 11 हो गयी है, राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो चुकी है. राजधानी पटना में संदिग्धों की वायरोलॉजी जांच कराने के साथ ही प्रशासन उनके संपर्क में रहने वाले लोगों की निगरानी कर रहा है. जिले में अब तक 3000 से अधिक ऐसे लोग चिह्नित किये गये हैं, जो या तो विदेशों से लौटे हैं या फिर उनके संपर्क में आये हैं.

राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से 12 करोड़ बिहारियों को बचा लेने का आग्रह किया

न्यूज़ टुडे टीम अपडेट : पटना, बिहार :

बिहार में कोरोना के खौफ और लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों के बढ़ते आंकड़ों के बीच नेता प्रतिपक्ष और राजद नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से 12 करोड़ बिहारियों को बचा लेने का आग्रह किया है।

दरअसल बिहार में कोरोना वायरस तेजी से अपना पैर पसार रहा है। यहां एक ही दिन जांच में एक साथ चार नए कोविड-19 पॉजिटिव केस सामने आने के बाद राज्य में वायरस से संक्रमितों की संख्या 15 हो गई है।

राज्य में एक ही दिन में सबसे ज्यादा पांच मामले एक साथ सामने आए हैं। इन्हीं सब के रिवर पर मदद की गुहार लगाई है।

तेजस्वी यादव ने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा कि 'देश को 56 संसद देने वाले बिहार का इतना बुध हात है कि डाक्टर्स को वीडियो बनाकर मदद की गुहार करनी पड़ रही है। मैं नरेंद्र मोदी जी, डॉक्टर हर्षवर्धन जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि डॉक्टरों को जांच-उपचार के अति उपकरण मुहैया करा कृपया 12 करोड़ बिहारियों को बचा लीजिए।'

नोट: हमारे बड़े प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले छात्र-छात्रों को फिर से काम मिलने की गारंटी है।

- Acting (6 Months)
- Film Direction (6 Months)
- Video Editing (Months)
- Cinematography (Camera & Light)
- Fashion Photography & Videography
- Sound Recording & Audio Engineering
- Creative Writing / Dialogue, Script
- TV Journalism, News Reading & Anchoring
- 1-Yr. Diploma Courses After 10+2
- 1-Yr. P.G. Diploma Courses After Graduation
- P.R. Advt. & Event Management

Admission Notice

Chetan Institute of Film & Television

Run & Managed by (Chetan) A Social Cultural & Educational organization, Regd. No. 6809/889-2000

प्रधान कार्यालय: आर्यभट्टा निवास, मतिरवा जिरात, मोतिहारी-246401, (बिहार)

इंस्टीट्यूट: अरको पब्लिक स्कूल, सिपिया हिवन, मोतिहारी-246401, (बिहार)

फोन नं: 9471005272/9955447675 email: newstodayhindimagazine@gmail.com newstodaymb@gmail.com

NEWS TODAY Update

युवावर्ज मीडिया एंटरटेनमेंट

डिजिटल प्रचार

हमारा लक्ष्य, आपकी जीत

DIGITAL CAMPAIGNING

- Bulk SMS Marketing
- Whatsapp Marketing
- Social Media Marketing
- Voice Call Marketing

Yuvaraj Media & Entertainment

बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार के लिए संपर्क करें:

Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

अरु बिहार का फसल रिहाइट

RAM BHAWAN RAM YAMUNA PRASAD HOTEL & RESORT

A completed Leisure Point

Facility Available

1. Room-Deluxe, Super Deluxe & Suit Room
2. Banquet Halls- 4000sq feet, 3000 sq feet & 2000 sqft
3. Lawn Area- 70000 sq feet & Swimming Pool
4. Gym & catering
5. Parking for 50 Cars

Service Offerd

1. Marriage/Reception Function
2. Engagement
3. Pool side party
4. Business Meeting
5. Conference Hall

Family's Bawarchi Restaurant Open

Special Packages

1. Pool side party/birthday function/business meetings started from 5, 29000* onwards including decoration & Food
2. Corporate booking available at attractive rate
3. Marriage bookings started from 349000* onwards including room

Jamla Road, Chhattauni-Bettihar Highway (NH.28) Near Niti Raj Tata Motors, Motihari, M.9122762278

NEWS TODAY Update

युवावर्ज मीडिया एंटरटेनमेंट

न्यूज़ टुडे

आपकी आवाज

News Today Digital Paper Tarrif

Back Page Full	: 27.94 X 43.18 cm = 55000.00
Back Page Half	: 13.97 X 21.59 cm = 30000.00
Back Page Quarter	: 06.98 X 10.79 cm = 20000.00
Complimentary Ad	: 04.00 X 06.00 cm = 5000.00
Inner Page 25%	less of all Tarrif

Portal Tarrif

PARTICULAR	DAILY (MIN. 15 DAYS)	MONTHLY	YEARLY
HEADER :	2000	50,000	5,00,000
UNDER NEWS :	1000	25,000	2,50,000
SIDE, MIDDLE & OTH :	1500	35,000	3,50,000

Yuvaraj Media & Entertainment

बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार के लिए संपर्क करें:

Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

Yuvaraj Media & Entertainment बिहार विधानसभा चुनाव में डिजिटल प्रचार के लिए संपर्क करें: Contact For Advt. (Still & Video), News: +91 9471005272, 8210595830

